संख्या-2882/86-2017-153(सामान्य)/2017

प्रेषक,

डा० बलकार सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

7516
06/11/17

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग   लखनऊ दिनांकः 02 नवम्बर, 2017

विषयः-विकास कार्यो के लिये कार्यदायी संस्थाओं को साधारण मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में महत्वपूर्ण परियोजनाओं/विकास कार्यो के लिये उपयोग में लायी जाने वाली साधारण मिट्टी उपखनिज की श्रेणी में वर्गीकृत है। साधारण मिट्टी के खनन हेतु सक्षम स्तर से माइनिंग प्लान अनुमोदित कराकर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा अनुमन्य रायल्टी की धनराशि जमा करने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने का प्राविधान है। विकास कार्यो के लिये साधारण मिट्टी की समय पर उपलब्धता न हो पाने से विकास कार्य/महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करना सम्भव नहीं हो पाता है। इससे जहाँ परियोजना-लागत में वृद्धि होती है, वहीं जनहित/विकास कार्य भी प्रभावित होता है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास कार्यो को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदक को साधारण मिट्टी की समयान्तर्गत उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत साधारण मिट्टी के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से नियमानुसार समस्त औपचारिकताए पूर्ण कराकर खनन अनुज्ञा पत्र तत्काल निर्गत किए जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें। खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत होने में विलम्ब होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे और उनके विरूद्ध संगत प्रभावी नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(डा० बलकार सिंह)
विशेष सचिव।

471

संख्या-2862 (1)/86-17-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को उक्त निर्णय से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)

अनु सचिव।

472